28.11.2025	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता श्री प्रमोद कुमार दवे उपस्थित। पेरोकार सरकार उपस्थित। अप्रार्थी संख्या एक से आठ के अधिवक्ता श्री परिक्षीत खरौर उपस्थित। दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। प्रार्थी अपीलांट की मूल अपील निर्णित हो जाने से इस स्थगन प्रार्थना–पत्र पर अब किसी तरह की कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः प्रार्थी का यह स्थगन प्रार्थना–पत्र इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। (अल्पा चौधरी) जिला कलक्टर,सिरोही

Scanned with CamScanner